विध्यारोहण छात्रवृत्ति कार्यक्रम

नीति दस्तावेज़

मिशन: शिक्षा के माध्यम से कुलश्रेष्ठों को सशक्त बनाना

उद्देश्य:

इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य जरूरतमंद कुलश्रेष्ठ के बच्चों को वित्तीय सहायता देना है भारत में जो परिवार आर्थिक तंगी के कारण शैक्षिक नुकसान का सामना कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का अतिरिक्त उद्देश्य युवाओं को कार्यबल में कौशल रोजगार के साथ सशक्त बनाना है ।

अनुमान है कि यह कार्यक्रम उन मेधावी कुलश्रेष्ठ छात्रों की मदद करेगा जो आर्थिक तंगी के कारण गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा (स्नातक / स्नातक / व्यावसायिक / तकनीकी) से वंचित रह जाते है।

कार्यक्रम सारांश

दायरे में	• स्नातक / स्नातक / व्यावसायिक / तकनीकी स्तर उच्च शिक्षा • केवल भारत के भीतर शैक्षिक संस्थान (सरकारी, मान्यता प्राप्त या निजी) • उन उज्ज्वल छात्रों को प्रोत्साहित करें जिन्हें पारंपरिक और एकीकृत स्नातक या समकक्ष पाठ्यक्रम (उदाहरण: IIT, कानून, वास्तुकला आदि) में चुना गया है ।
पात्रता	• भारत में कुलश्रेष्ठ परिवार जहां आकस्मिक निधन के कारण या ब्रेडविनर की अक्षमता से बच्चों की शिक्षा जोखिम पर है । • भारत में कुलश्रेष्ठ परिवार जहाँ बच्चे की एकल माता-पिता की स्थिति है और माता-पिता उनके सभी बच्चों की शिक्षा। को वहन करने में असमर्थ है । • कुलश्रेष्ठ बच्चे जो अनाथ हैं और जहाँ शिक्षा के लिए समर्थन की आवश्यकता है । • बच्चे के पास पिछले दो वर्षों में ग्रेड बी / सेकंड डिवीजन के बराबर या अधिक होना चाहिए । • कोई भी अन्य योग्य परिवार जो हमारी कार्यकारी समिति योग्य मानति है ।
अवधि	• एक समय में एक वर्ष। आवेदक बाद के वर्षों में फिर से आवेदन कर सकता है ।
सहायता की प्रकृति और रकम	• एक वर्ष की छात्रवृत्ति 12,000 रुपये की है । बाद के वर्षों में फिर से आवेदन हो सकता है लेकिन पहली प्राथमिकता नए आवेदकों को होगी ।
छात्रवृत्ति की संख्या	• धन की उपलब्धता के अधीन है, यह प्रत्येक वर्ष भिन्न हो सकता है। इस वर्ष 8 छात्रवृत्ति है ।

आपातकालीन राहत कोष - कुलश्रेष्ठ कार्यकारी समिति के पास निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार है जो इस नीति में बताया गया है,लेकिन उपलब्ध धनराशि के आधार पर प्रति वर्ष दी जाने वाली छात्रवृत्ति की संख्या। छात्रवृत्ति बढ़ाने या घटने तक अधिकार सीमित नहीं है । प्रायोजन आधारित कार्यक्रम भी उपलब्ध हो सकते हैं जिसके लिए अलग से दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।